संख्याः– /18/XXvii(10)2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 17 अगस्त ~~जुलाई~~, 2017

विषयः–सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0, आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान एवं पेंशन अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्याः 25/XXvii(7)द्वि0प्रति0/2009 दिनांक 13.02.2009 द्वारा राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन अनुमन्य किया गया था।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन विषयक एवं दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राजकीय पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या क्रमशः 266/45/XXvii(10)2016 व 267/45/XXvii(10)2016 दिनांक 30.12.2016 के समस्त मूल सिद्धान्त राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं पेंशनरों (यू0जी0सी0,

ए0आई0सी0टी0, आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) पर लागू किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण/शिक्षणेत्तर पेंशनरों को महंगाई भत्ता राज्य सरकार के कार्मिकों/पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते के अनुसार अनुमन्य होगा।

3. इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सम्बन्धित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु सम्बन्धित पेंशनर से आवेदन किये जाने की अपेक्षा न की जाये। पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा राजकीय पेंशनरों हेतु जारी आदेश यथावत लागू किये जायेंगे।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः— 173 / 18 / XXVII(10) / 2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3— आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4— निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5— निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6— समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7— प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव